



bharti

**BHARTI AIRTEL LIMITED**

CIN: L74899HR1995PLC095967

Regd. Office: Airtel Center, Plot No. 16, Udyog Vihar, Phase-IV,
Gurugram - 122015, India

Tel.: +91-124-4222222; Fax.: +91-124-4248063

Email id: compliance.officer@bharti.in, Website: www.airtel.in**NOTICE****Transfer of equity shares of Bharti Airtel Limited ("Company")
to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")**

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules"). The Act and the Rules amongst other matters, provide for the compulsory transfer of equity shares, in respect of which dividend remains unpaid/unclaimed for a period of seven consecutive years or more, to Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Adhering to the aforesaid requirements, the Company has individually communicated to such shareholders whose dividends remain unpaid/unclaimed for seven consecutive years commencing from the financial year 2014-2015, requesting them to claim the same by September 15, 2022, by following the procedure laid down in the correspondences being sent to them. In absence of the receipt of a valid claim by the shareholders within the mentioned time frame, the Company will transfer the said shares to IEPF authority in accordance with the Rules.

The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may please note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original certificate(s) held by them for the purpose of conversion of such shares into DEMAT form and their subsequent transfer to IEPF. Upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shareholders holding shares in DEMAT form, the transfer of shares to DEMAT account of the IEPF Authority as indicated herein above shall be effected by the Company through the respective depositories by way of corporate action. The shareholders may note that the Company has uploaded the updated list of such shareholders alongwith Folio No./DPID and Client ID whose shares are liable to be transferred to IEPF, on its website viz. www.airtel.in. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website is treated as notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Any further dividend/benefit, if any, in respect of shares so transferred shall also be credited to IEPF. No claim shall lie against the Company in respect of the dividend and the shares transferred to IEPF Authority. On transfer of the dividend, and shares to IEPF Authority, the shareholders may claim the same by making an application to IEPF by following the procedure prescribed in the Rules.

In view of the above, the concerned shareholders are once again requested to claim their unclaimed dividends immediately on receipt of this Notice, within the aforesaid timelines, by submitting written application along with a self-attested copy of PAN card, copy of cancelled cheque, self-attested copy of address proof and the original uncashed dividend warrant (if any) or a duly filed indemnity bond (available on the website of RTA) failing which the Company shall, in adherence to the requirements of the Act and the Rules, transfer the shares on which dividend remains unpaid/unclaimed for seven consecutive years in accordance with applicable provisions without any further notice.

In case the shareholders have any queries, they may contact Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Limited, at their address Selenium Building, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500032; Toll Free No.: 1800-3454-001; Email id: einward.ris@kfinotech.com; Website: www.kfinotech.com.

Place : Gurugram
Date : June 23, 2022For Bharti Airtel Limited
Sd/-
Pankaj Tewari
Company Secretary

bharti

भारती एयरटेल लिमिटेड

CIN: L74899HR1995PLC095967

पंजी. कार्यालय: एयरटेल सेंटर, प्लॉट नं. 16, उद्योग विहार, फेस-IV,
गुरुग्राम - 122015, भारत

दूरभाष: 91-124-4222222; फैक्स: 91-124-4248063

ईमेल: compliance.officer@bharti.in वेबसाइट: www.airtel.in

सूचना

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष ("आईईपीएफ") को

भारती एयरटेल लिमिटेड ("कंपनी") के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण

यह सूचना कंपनीज अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेख परीक्षण, हस्तांतरण व रिफंड) नियमावली, 2016 ('नियमावली') के अनुपालन में प्रकाशित की गई है। अधिनियम व नियम के अनुसार अन्य बातों के अलावा उन इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा व संरक्षण आईईपीएफ में हस्तांतरण अनिवार्य है जिनमें लामांश लगातार सात या अधिक वर्षों की अवधि में भुगतान या चुकता नहीं किया गया है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को देखते हुए, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों जिनके लामांश वित्तीय वर्ष 2014-2015 से शुरू होकर लगातार सात वर्षों से भुगतान/दावों के लिए शेष हैं, से व्यक्तिगत रूप से संचार किया गया है, उनसे उन्हें भेजे जा रहे संचार में दी गई प्रक्रिया को अपनाकर 15 सितंबर, 2022 तक उन पर दावा करने का अनुरोध है। वर्णित समय सीमा के भीतर शेयरधारकों द्वारा वैध दावे की प्राप्ति की अनुपस्थिति में, कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को उक्त शेयरों का हस्तांतरण करेगी।

भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारक और जिसके शेयर आईईपीएफ को हस्तांतरित होने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी डिमेट फॉर्म के ऐसे शेयरों परिवर्तन के उद्देश्य के लिए उन्हें दिए गए मूल प्रमाणपत्र(ओं) के संबंध में नए शेयर प्रमाणपत्र(ओं) को जारी करेगी और उसके बाद आईईपीएफ को हस्तांतरण करेगी। ऐसे शेयर जारी करने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल प्रमाणपत्र(ओं) स्वयं रद्द हो जाएंगे और गैर-विक्रय माने जाएंगे। डिमेट फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, यहां ऊपर निर्देशित अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमेट खाते में शेयरों का हस्तांतरण निगमित कार्यावाही के द्वारा संबंधित डिपोजिटरीज के माध्यम से कंपनी द्वारा प्रभावित किए जाएंगे। शेयरधारक ध्यान दें कि कंपनी ने फोलियो नं./डीपीआईडी और वलाइट नं. सहित ऐसे शेयरधारकों जिनके शेयर आईईपीएफ में हस्तांतरण किए जाने के पात्र हैं, की अपडेटेड सूची वेबसाइट www.airtel.in पर अपलोड की है। इसके अतिरिक्त शेयरधारक ध्यान दें कि नियमों के अनुपालन में आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(ओं) के जारी होने के संबंध में सूचना के रूप में देखा जाए।

हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के संबंध में कोई अन्य लामांश/लाम, यदि कोई है वो भी आईईपीएफ को क्रेडिट किया जाएगा। आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित लामांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा। आईईपीएफ को लामांश व शेयरों के हस्तांतरण पर, शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर आईईपीएफ को आवेदन करके उसका दावा कर सकते हैं।

उक्त के संबंध में, संबंधित शेयरधारकों से एक बार फिर से, इस सूचना की प्राप्ति पर तुरंत अपने लामांश पर दावा करने का अनुरोध है। उन्हें पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, रद्द किए गए बैंक की प्रति, पता प्रमाण की मूल प्रति और मूल गैर नकद लामांश वारंट (यदि कोई हो) या विधिवत रूप से दायर क्षतिपूर्ति बॉन्ड (आरटीए की वेबसाइट पर उपलब्ध) के सहित लिखित आवेदन जमा करना होगा। असफल होने पर कंपनी अधिनियम और नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में उन शेयरों, जिन पर लामांश सात वर्षों तक बकाया/गैर चुकता है, को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, आईईपीएफ में हस्तांतरित कर देगी।

किसी भी पूछताछ के मामले में शेयरधारक, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड से उनके पते सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गांधीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032, टॉल फ्री नं. 1800-3454-001, ई-मेल आईडी : einward.ris@kfintech.com वेबसाइट: www.kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 23 जून, 2022

कृते भारतीय एयरटेल लिमिटेड
हस्ता /-
पंकज तिवारी
कम्पनी सचिव